



उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ

पीबीएक्स संख्या- 2720671, 2720665, 2720670 Fax: 2720846

ISO 14001 : 2004
(EMS) CERTIFIED

पत्रांक- 12 / प्रब.(का) / व्यव / रानिनि / 2016

दिनांक: 18 फरवरी, 2016

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयकों का भुगतान मुख्यतः उनकी सेवा पुस्तिका पूर्ण नहीं होने के कारण से नहीं हो पा रहा है।

इस सन्दर्भ में मुख्यालय स्तर से कार्मिक शाखा द्वारा सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण करने हेतु अभियान भी चलाया गया था परन्तु अंचलीय कार्यालय / इकाईयों द्वारा सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण नहीं कराया गया है।

ऐसी स्थिति में यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण निगम के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं तत्काल पूर्ण की जायें विशेषकर वह अधिकारी / कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं वह जो वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

यदि इस सन्दर्भ में किसी अधिकारी / कर्मचारी की सेवापुस्तिका पूर्ण नहीं रहती है और उसके कारण कोई विषम स्थिति उत्पन्न होती ओर निगम को ब्याज इत्यादि का भुगतान करना पड़ता है तो सम्बन्धित डी.डी.ओ. (Drawing Disbursing Officer) उत्तरदायी होंगे एवं और उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित डी.डी.ओ. से की जायेगी।

हो/-

(आर. के. गोयल)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं ज्ञातशुभ कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त महाप्रबन्धक / आतिरिक्त महाप्रबन्धक / विंग हेड्स, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., मुख्यालय, लखनऊ एवं समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधिनस्थ कार्यालयों / इकाईयों में उक्त आदेश का परिचालन एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्धक (कार्मिक)